

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के क्रम में अभियान को सफल बनाने हेतु दिनांक 11.09.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न है।

थाना-निजामाबाद

10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के कुशल नेतृत्व में हे 0का0 राममिलन यादव व हे0का0 सुरेश यादव द्वारा सेन्टरवा क्षेत्र भ्रमण करते हुए मामूर थे कि कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि खैरुद्दीनपुर के रास्ते से एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके मौके पर पहुंच कर खैरुद्दीनपुर के रास्ते पर मन्दिर के पास पहुंच कर चेकिंग किया जा रहा था कि खादा की तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ किया गया तो अपना नाम हीरा लाल यादव पुत्र राजेन्द्र यादव ग्राम परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक एक जरिकेन में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब बरामद किया गया। जिसको समय करीब 20.15 बजे गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 164/20 धारा 60Ex Act थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान मा0 न्या0 किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-हीरा लाल यादव पुत्र राजेन्द्र यादव ग्राम परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी -

1- 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0- 164/20 धारा 60Ex Act थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. हे0का0 राममिलन यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. हे0का0 सुरेश यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना मुबारकपुर

10 लीटर कच्ची देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 11.9.2020 को प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराह द्वारा मुखबीर के सूचना के अधार पर अभियुक्त मो0 शादाब पुत्र मो0 इस्लाम निवासी इसलामपुरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को समौधी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से पास से एक जरिकेन में 10 लीटर कच्ची देशी शराब बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.185/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- मो0 शादाब पुत्र मो0 इस्लाम निवासी इसलामपुरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

बरामदगी -

एक जरिकेन में 10 लीटर कच्ची देशी शराब

पंजीकृत अभियोग -

मु.अ.सं.185/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम, थाना-मुबारकपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ.नि. कमल नयन दूबे थाना मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़ मय हमराह।

